

डिक्री मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, साँगानेर (द्वितीय) मुकाम साँगानेर जयपुर व इजलास श्री घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 15/2019

1. मदनलाल पुत्र मथुरालाल, जाति महाजन निवासी ग्राम आशावाला, तहसील साँगानेर जिला जयपुर।

...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील साँगानेर जिला जयपुर।

...प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी 1908

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी, साँगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रुबरू वकील वादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू-अभिलेख नि० क्षेत्र वाटिका तहसील साँगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 304 रकबा 0.95 है०, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.35 है० खसरा नम्बर 601 रकबा 0.44 है०, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.38 है०, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 660 रकबा 0.49 है०, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.37 है० कुल कित्ता 13 कुल रकबा 4.57 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 695 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा है जिसकी हाल जमाबन्दी में वादी का नाम मदनलाल पुत्र गोपीचन्द के स्थान पर मदनलाल पुत्र मथुरालाल घोषित किया जाता है। तहसीलदार साँगानेर को निर्देशित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मदनलाल पुत्र गोपीचन्द के स्थान पर मदनलाल पुत्र मथुरालाल दर्ज किया जावे।

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.11.2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....  
ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

५७

डॉ. खण्ड अधिकारी  
खयामुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Ghanshyam  
Sharma  
Date: 2019.11.18 17:12:20 IST  
Reason: SelfAttested  
Location:

